



मथुरा पुलिस



दिनांक 26.07.2025

प्रेस नोट

थाना- कोतवाली

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा चौध वसूली (रंगदारी) के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26.07.2025 समय करीब 06.05 बजे अभियुक्त माधव पुत्र राजू उर्फ राजकुमार निवासी सरवनपुरा चौबिया पाड़ा थाना कोतवाली जनपद मथुरा उम्र करीब 24 वर्ष को उसके मकान के बाहर से सरवनपुरा मौहल्ला गली चौबियापाड़ा थाना कोतवाली मथुरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त माधव उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली पर दिनांक 25.07.2025 को मुकदमा वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 454/2025 धारा 115(2)/308(2)/351(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियोग उपरोक्त में धारा 308(2) बी0एन0एस0 का लोप कर धारा 308(5) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गई। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त माधव उपरोक्त को हिरासत पुलिस लेकर थाना कोतवाली से अभियुक्त माधव उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उपरोक्त का नाम व पता:-

माधव पुत्र राजू उर्फ राजकुमार निवासी सरवनपुरा चौबिया पाड़ा थाना कोतवाली जनपद मथुरा उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-

स्थान- अभियुक्त के मकान के बाहर सरवनपुरा मौहल्ला गली चौबियापाड़ा थाना कोतवाली मथुरा से दिनांक 26.07.2025 समय करीब 06.05 बजे।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 253/2024 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली जिला मथुरा ।
- 2.मु0अ0सं0 602/2023 धारा 323/354(क)/452/506 भादवि थाना कोतवाली जिला मथुरा ।
- 3.मु0अ0सं0 454/2025 धारा 115(2)/308(5)/351(3) बी.एन.एस. थाना कोतवाली जिला मथुरा ।

अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के सदस्यों के नाम:-

- 1.प्र0नि0 देवपाल सिंह पुण्डीर थाना कोतवाली जिला मथुरा ।
- 2.उ0नि0 विजय कुमार (चौकी प्रभारी जिला अस्पताल) थाना कोतवाली, मथुरा ।
- 3.उ0नि0 अरविन्द सिंह थाना कोतवाली जिला मथुरा

